



28/4/25

पत्रावली पेडा हुई) जाली अधि. उफ.)
अजली सं. 1 अधिवक्ता उफ.) अजली सं.
2 व 3 की तलनी लेकर सम्मान देना नहीं।
पत्रावली वाले अजली सं. 1 के पत्राव एवं
अजली सं. 2 व 3 की तलनी हेतु निर्णय
30/4/25 को देना है।

28/4/25

30/4/25

पत्रावली पेडा हुई) जाली - अजली अधि. उफ.)
अजली सं. 1 का पत्राव देना नहीं। जाली अधिवक्ता
द्वारा मूल वाद में जाली पत्र अन्तर्गत अधिस
23 नियम 1 का निर्णय देना किया गया जिसके
स्वीकार होने से जाली का वाद निर्णय किया जा
सुका है। वही मूला उद्धृत मूल वाद सं. 25/25
निर्णय ले जाने से जाली द्वारा उद्धृत जाली
पत्र अन्तर्गत काका 212 सम्मान काष्ठकारी
आधिनियम में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
अतः जाली द्वारा उद्धृत जाली पत्र अन्तर्गत
काका 212 सम्मान काष्ठकारी अधिनियम
को जारी किया जा रहा है।
निर्णय से इन्फॉर्म सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार लेकर दाखिल दफ्तर
है तथा नम्बर से कम है।


30/4/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा